

25/10  
23

पीठासीन अधिकारी अक्कारा/राजकार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वत दिनांक 24/24 को पेश हो  
सीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला वारा

24/24

पीठासीन अधिकारी अक्कारा/राजकार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वत दिनांक 24/24 को पेश हो  
सीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला वारा

8/4/24

पीठासीन अधिकारी अक्कारा/राजकार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वत दिनांक 8/7/24 को पेश हो  
सीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला वारा

8/24

पत्रावली पेश हुई वकूलाय फरीकेन उपस्थित, पी.ओ. सा. का पद रिक्त होने से पत्रावली पूर्वत दिनांक 9/25/24 को पेश हो।

25/24

पत्रावली पेश हुई वकूलाय फरीकेन उपस्थित, पी.ओ. सा. का पद रिक्त होने से पत्रावली पूर्वत दिनांक 8/25 को पेश हो।

8/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वरिष्ठ उपस्थित।  
वकूल वकूलाय फरीकेन को पत्रावली पेश  
आदेश दिनांक 13/11/25 को पेश हो

13/25


पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उप.  
वकील वकील द्वारा उक्त वाद इस आधार पर  
पेश किया गया है कि वाद पत्र में  
वकील विवादित आराजिमत करने की व पेंचक

दिनांक ..... बनाम .....

..... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील मे जारी हुए
----------	-----------------------------------	--

है। किन्तु वादीगण को साक्ष्यवादी उत्तुट करने के पथ प्रति अवसर दिये जाने के बावजूद भी वादीगण ऐसा कोई साक्ष्य उत्तुट करने में सफल रहे हो जिससे सिद्ध होता हो कि वादपत्र की विवादित आराजी पैतृक है या नहीं अतः साक्ष्य के आभाव में वादपत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय प्रथम से लिया जाकर शो. का किया। पत्रावली फासल शुमार होकर नम्बर से क्रम की जावे। निर्णय आज दिनांक 13-01-2025 को लरे इजलान पुनाया गया।

  
अंजना सहरावत  
उपखण्ड अधिकारी  
मांगरोल